संख्या–882 / 9–आ–1–2001–72 बैठक / 1998

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनाँक : 16 फरवरी 2001

विषय : सम्पत्तियों के किराये पर आवंटन पर रोक– विकास प्राधिकरण तथा तत्कालीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की किराये पर उठी अमितव्ययी सम्पत्तियों का निस्तारण।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक शासनादेश संख्या– 4872 / 9–आ–1–99–72 बैठक / 1998 दिनांक 04.11.1999 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों एवं तत्कालीन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की किराये पर उठी अमितव्ययी सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में कतिपय व्यवस्थायें सुनिश्चित की गयी थीं।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद् द्वारा कोई भी सम्पत्ति किरायेदारी के आधार पर न आवंटित की जाय बल्कि ऐसी सम्पत्तियों का विक्रय नियमानुसार सुनिश्चित कराया जाय। यदि सम्बन्धित किरायेदार सन्दर्भगत शासनादेश के अन्तर्गत सम्पत्ति क्रय करने के इच्छुक नहीं हैं तो उनसे वर्तमान बाजार दर के आधार पर किराया निर्धारित कर लिया जाय। केवल स्टाफ क्वार्टर ही इससे अवमुक्त रहेंगे। उनको कर्मचारियों को विक्रय किये जाने से पूर्व औचित्य अवगत कराते हुए शासन की पूर्वानुमति ली जाय।

3. उक्त व्यवस्थायें तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगी। कृपया इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या शासन को 15 मार्च, 2001 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या– 882 / 9–आ–1–2001 तद दिनांक :

उपर्युक्त की प्रतिलिपि मण्डलायुक्त / अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, फैजाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, वाराणसी, झांसी, आगरा, बरेली, मुरादाबाद एवं सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव